न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 15/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/ 17)

वादीगण बनाम	प्रतिवादी
1. अजय कुमार पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. केवल सिंह पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 17.01.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय–– **दिनांक : 20.01.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 85/06 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 के नाम 0.421 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 के नाम 0.422 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वादीगण को अपने दादा ओमप्रकाश से जरिए दानपत्र प्राप्त हुई थी। उस समय वादीगण नाबालिग थे। जिस कारण उक्त भूमि वादीगण की माता निर्मला देवी सरंक्षक के तौर पर देखभाल व सार संभाल करती आ रही है। वर्तमान में वादीगण बालिग हो गये है। इसलिए वादीगण अपने नाम से नाबालिग शब्द व सरंक्षक अपनी माता का नाम हटवाकर बालिग करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 85/06 में वादीगण को बालिग दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3860 दिनांक 31.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण नाबालिग अजय कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक निर्मला देवी हिस्सा 421/1265 जाति माली सा. देह खातेदार, नाबालिग केवल कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक निर्मला देवी हिस्सा 422/1265 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण अजय कुमार की जन्मतिथि 08.07.2001 व केवल सिंह की जन्मतिथि 05.03.2000 है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण बालिग हो चुके है। अतः जमाबन्दी में नाबालिग के स्थान पर बालिग किया जाना उचित है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 85/06 की छायाप्रति, पंजीकृत दानपत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, कक्षा 10 वीं की अंकतालिका की छायाप्रतियां, जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 85/06 में अंकित नाबालिग अजय कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक निर्मला देवी हिस्सा 421/1265 जाति माली सा. देह खातेदार के स्थान पर अजय कुमार पुत्र रतनलाल हिस्सा 421/1265 जाति माली सा. देह खातेदार व नाबालिग केवल कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्मला देवी हिस्सा 422 / 1265 जाति माली सा. देह खातेदार के स्थान पर केवल कुमार पुत्र रतनलाल हिस्सा 422 / 1265 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादीगण के जन्मप्रमाण पत्र में अजय कुमार की जन्म दिनांक 08.07.2001 व केवल कुमार की जन्म दिनांक 05.03.2000 अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू. पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 85 / 06 में नाबालिग अजय कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक निर्मला देवी हिस्सा 421 / 1265 जाति माली सा. देह खातेदार, नाबालिग केवल कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक निर्मला देवी हिस्सा 422 / 1265 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण अजय कुमार की जन्मतिथि 08.07.2001 व केवल सिंह की जन्मतिथि 05.03.2000 है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण बालिग हो चुके है। अतः जमाबन्दी में नाबालिग के स्थान पर बालिग किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 85 / 06 में अंकित नाबालिग अजय कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक निर्मला देवी हिस्सा 421 / 1265 जाति माली सा. देह खातेदार के स्थान पर अजय कुमार पुत्र रतनलाल हिस्सा 421 / 1265 जाति माली सा. देह खातेदार व नाबालिग केवल कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक निर्मला देवी हिस्सा 422 / 1265 जाति माली सा. देह खातेदार के स्थान पर केवल कुमार पुत्र रतनलाल हिस्सा 422 / 1265 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अजय कुमार बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए

मुकदमा नम्बर **15/2025**

निर्णय दिनांक :- 20.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू. अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 85/06 में अंकित नाबालिग अजय कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक निर्मला देवी हिस्सा 421/1265 जाति माली सा. देह खातेदार के स्थान पर अजय कुमार पुत्र रतनलाल हिस्सा 421/1265 जाति माली सा. देह खातेदार व नाबालिग केवल कुमार पुत्र रतनलाल सरंक्षक निर्मला देवी हिस्सा 422/1265 जाति माली सा. देह खातेदार के स्थान पर केवल कुमार पुत्र रतनलाल हिस्सा 422/1265 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 20.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

दिनांकः 20.01.2025

क्रमांकः रीडर/2025/36

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर